## *प्राक्कथन*

रेल मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 के अन्तर्गत और लेखा एवं लेखापरीक्षा पर सीएजी के विनियमों के अनुसार की गई थी।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 20 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ अन्तर्विष्ट हैं जिसमें वर्ष 2012-13 के दौरान की गई वित्तीय संव्यवहारों की नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत हुए चार विषयक लेखापरीक्षा शामिल हैं। पूर्व वर्षों से संबंधित मामले जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका और 2012-13 की आगे की अवधि से संबंधित मामले जहाँ आवश्यक समझा गया को भी शामिल किया गया है।

----------x----------